

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)(समक्ष- मोहम्मद अजहर)क्लेम प्रकरण क्र. 27/15संस्थित दिनांक 18.08.2015

1. बेताल सिंह आयु 46 साल पुत्र श्री बोवदप्रसाद जाति जाटव निवासी ग्राम अंगनपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदकबनाम

1. हरदीप उर्फ दिनेश राठौर आयु 31 साल पुत्र रमेशसिंह उर्फ रमेश चन्द्र राठौर निवासी ग्राम खडेर थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
चालक बस क0 एम.पी.-33/एफ-2199
2. शिवनाथ सिंह पुत्र माधौसिंह आयु 30 साल निवासी-30 बी इन्द्र नगर ठाटीपुर लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
स्वामी-बस क0 एम.पी.-33/एफ-2199
3. मण्डल प्रबंधक,
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
शाखा मण्डल कार्यालय 88 इन्दौर म0प्र0

.....अनावेदकगण// अधि-नि र्ण य //(आज दिनांक 29.04.2017 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा-166 मोटर यान अधिनियम के तहत दिनांक 23.10.14 को बॉयज स्कूल के सामने गोहद जिला भिण्ड में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदक बेताल सिंह के पुत्र उदयसिंह को आई चोटों से हुई मृत्यु के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से 74,45,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.14 को आवेदक बेताल सिंह का पुत्र उदयसिंह, कमलेश की साइकिल लेकर गोहद बाजार में सौदा लेने के लिए गया था। वह सौदा लेकर साइकिल से आ रहा था, तभी करीब 12:30 बजे बॉयज स्कूल के सामने मौ रोड पर गोहद की तरफ से एक मिनी बस सफेद हरे रंग की जिसकी बॉडी पर

गुर्जर लिखा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.-33/एफ.-2199 था, को अनावेदक क्रमांक 01 हरदीप उर्फ दिनेश राठौर ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उदय सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उदयसिंह की मृत्यु हो गई। उदयसिंह को आवेदक तथा कमलेश व राकेश उठाकर सरकारी स्वस्थ केन्द्र गोहद इलाज के लिए ले गए। जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट कमलेश द्वारा थाना गोहद में की गई। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना दिनांक को उदय सिंह की आयु 18 वर्ष की होकर वह कृषि मजदूरी एवं भैंस पालन का व्यवसाय करके 15 हजार रुपए प्रतिमाह आय अर्जित कर लेता था। जिससे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उदयसिंह आवेदक के बुढ़ापे का सहारा था। उसकी मृत्यु से आवेदक को क्षति हुई है। दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन बस का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 02 शिवनाथ सिंह था तथा उक्त बस अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में समस्त दायित्वों के लिए बीमित थी। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उक्त प्रश्नगत वाहन से उदयसिंह जाटव को टक्कर नहीं मारी गई है। पुलिस ने गलत अपराध कायम किया है। उक्त मिनीबस क्रमांक एम.पी.-33/एफ.-2199 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। उक्त वाहन मिनी बस ड्रायवर हरदीप अर्थात् अनावेदक क्रमांक 01 की देखरेख में रहती थी। यह मिनी बस रिजर्व स्पेयर में विवाह आदि में बारातें व अन्य लोकल पार्टियों को लाने ले जाने हेतु ड्रायवर के गांव खडेर में रखी रहती थी। दिनांक 30.10.14 को अनावेदक क्रमांक 01 इस मिनी बस को गोहद चौराहे से मशीनरी का काम करा कर अपने गांव खडेर बस को लेकर जा रहा था। बॉयज स्कूल के पास पहुंचने पर गोहद पुलिस ने उक्त बस को झूठे अपराध में जप्त कर लिया। जबकि उक्त जप्त मिनी बस से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। असत्य केस लगा कर

यह क्लेम प्रस्तुत किया है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए, आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि यदि कथित घटना दिनांक को कथित प्रकार से दुर्घटना होना, अनावेदक क्रमांक 01 का वाहन चालक होना तथा अनावेदक क्रमांक 02 का स्वामी होना तथा उक्त दुर्घटना में उक्त कथित चोटें आना सिद्ध होता तो यह आपत्ति की गई है कि मृतक उदयवीर सिंह के द्वारा स्वयं अपनी साइकिल को रॉग साइड में तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था, जिससे दुर्घटना हुई है। प्रश्नगत मिनीबस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 के चालक की कोई गलती अथवा लापरवाही नहीं है। दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत बस को ड्रायवर अनावेदक क्रमांक 01 के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस एवं प्रदूषण बोर्ड का प्रमाणपत्र नहीं था। बिना उक्त दस्तावेजों के अनावेदक क्रमांक 02 की जानकारी में व सहमति से अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उक्त मिनी बस को चलाया गया है। इस प्रकार बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लेख किया गया है। इस कारण आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. मेरे पूर्व पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 23.10.14 के दिन के करीब 12:30 बजे बॉयज स्कूल के सामने आम रोड पर अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक-02 के स्वामित्व के वाहन मिनीबस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित कर आवेदक के पुत्र उदयसिंह को टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु हुई ?	अप्रमाणित।

2. क्या आवेदक, अनावेदकगण से अपने पुत्र उदयसिंह की दुर्घटना में उपरोक्त प्रकार से हुई मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का पात्र है ? यदि हां तो कितनी कितनी राशि ?	क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। 5,65,000 /—रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की गई।
3. क्या अनावेदक क्रं0-01 और 02 द्वारा मिनीबस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है ? यदि हां तो प्रभाव ?	प्रमाणित। बीमा कंपनी राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है।
4. अन्य सहायता एवं व्यय?	क्लेम याचिका निरस्त की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01:-

6. कमलेश आ0सा0-02 ने यह बताया है कि दिनांक 23.10.14 को लगभग 12:30 बजे वह बॉयज स्कूल के सामने गोहद में बैठा था। उसकी साइकिल उदयसिंह लेकर बाजार में सौदा लेने गया था। सौदा लेकर साइकिल से वापस आ रहा था कि गोहद तरफ से एक मिनी बस सफेद हरे रंग की जिसकी बॉडी पर अंग्रेजी में गुर्जर लिखा था, जिसका नंबर एम.पी.-33/एफ-2199 था, को उसका चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उदयसिंह जाटव को टक्कर मार दी और वह साइकिल सहित गिर पड़ा तथा घायल होकर खत्म हो गया। फिर वह तथा बेताल सिंह एवं राकेश उदयसिंह को उठाकर सरकारी अस्पताल गोहद इलाज के लिए ले गए। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने गोहद थाने पर लिखाई थी।

7. उसके इस कथन का समर्थन करते हुए बेताल सिंह आ0सा0-01 एवं उक्त मिनीबस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 के चालक अनावेदक क्रमांक 01 हरदीप उर्फ दिनेश राठौर के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पुत्र उदयसिंह को टक्कर मार कर उसकी मृत्यु कारित करना बताया है। घटना की रिपोर्ट कमलेश के द्वारा थाना गोहद में करना बताया है। इसके विपरीत अनावेदक क्रमांक 01 स्वयं हरदीप उर्फ दिनेश अना0सा0-01 ने यह बताया है कि उसके विरुद्ध थाना

गोहद में झूठी रिपोर्ट की गई है। वह मिनी बस क्रमांक एम.पी. -33/एफ-2199 पर ड्रायवरी करता है, दिनांक 23.10.14 को वह उक्त बस को गोहद चौराहे से मशीनरी का काम करा कर अपने गांव खडेर की ओर बस लेकर जा रहा था तो बॉयज स्कूल के पास पहुंचने पर पुलिस गोहद ने एक झूठे अपराध में बस को जप्त कर लिया।

8. हरदीप उर्फ दिनेश अना0सा0-01 ने यह भी बताया है कि जिस बस ने उदयसिंह को टक्कर मारी थी, आवेदक ने उसे जानबूझकर जप्त नहीं कराया, क्योंकि वह सफेद रंग की बस टक्कर मार कर भाग गई थी, थोड़ी देर बाद जब वह बस को लेकर निकला तो उसकी बस को गलत रूप से पकड़वा दिया था। उसकी बस से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उसकी बस सफेद रंग की नहीं है, हरे रंग की है। हरदीप उर्फ दिनेश अना0सा0-01 ने यह भी बताया है कि उसकी उक्त बस कभी सवारियों पर नहीं चलती है। उक्त मिनी बस रिजर्व में शादी, पार्टी, विवाह, बारातों आदि में या लेकर पार्टियों को लाने ले जाने हेतु उसके गांव खडेर में घर पर सुरक्षित रखी रहती है।

9. हरदीप उर्फ दिनेश अना0सा0-01 की उक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए भोलाराम सिंह अना0सा0-02 तथा रायसिंह अना0सा0-03 ने भी दिनांक 23/10/14 को सफेद रंग की मिनी बस के द्वारा एक लड़के को मारना और बस के ड्रायवर के द्वारा बस को भगाकर ले जाना बताया है। यह भी बताया है कि हरदीप हरे रंग की मिनी बस को चलाकर लाया तो वहां पर उपस्थित लोगों ने उक्त हरे रंग की बस को रोक लिया और पुलिस को बुलाकर पकड़वा दिया। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से यह आधार लिया गया है कि किसी अन्य बस के द्वारा टक्कर मारी है और वह अपनी बस को लेकर भाग गया है तथा हरदीप प्रश्नगत बस को लेकर वहां से निकल रहा था तो उसे केस में फंसा दिया एवं उसकी बस को जप्त करा दिया।

10. आवेदक की ओर से उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-10 प्रस्तुत की गई हैं। प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक 23.10.14 को दिन के 12:30 बजे की है तथा आधा घंटे बाद ही 13:00 बजे रिपोर्ट कर दी गई है। इस प्रकार त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो कि उस साइकिल वाले के द्वारा लिखाई गई है, जिसकी साइकिल उदयसिंह मांग कर ले गया था अर्थात् रिपोर्ट कमलेश के द्वारा लिखाई गई है। प्र0पी0-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह तथ्य है कि “ गोहद तरफ से एक मिनीबस (कट्टा) जो गोहद से कितोली सवारी पर चलती है, सफेद रंग की है, बस का चालक बंटी पुत्र गब्बर सिंह तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उदय को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह वहीं गिर गया बस का ड्रायवर बंटी बस को मौ रोड पर भगा कर ले गया” । स्पष्ट है कि त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसमें ड्रायवर का नाम बंटी पुत्र गब्बर सिंह होना बताया गया है तथा बस रामदास की मिनी बस (कट्टा) है।

11. इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 से कमलेश अ0सा0-02 एवं बेताल सिंह अ0सा0-01 की इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो रही है कि सफेद, हरे रंग की बस जिस पर अंग्रेजी में गुर्जर लिखा था, के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उदयसिंह को टक्कर मार दी। साक्ष्य में कमलेश अ0सा0-02 हरदीप के द्वारा बस को चलाया जाना बताता है। यद्यपि बेताल सिंह अ0सा0-01 घटना का साक्षी नहीं है, वह भी हरदीप उर्फ दिनेश के द्वारा उक्त बस को चलाया जाना बताता है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वाहन बंटी पुत्र गब्बर सिंह के द्वारा चलाया जा रहा था। कमलेश अ0सा0-02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह बताया है कि उसने रिपोर्ट जल्दवाजी में लिखाई थी। जिसमें रामदास मिनी बस का चालक बंटी पुत्र गब्बर सिंह निवासी हरपुरा का लिखाया था, जो कि गलत है। उसने यह बताया है कि

वास्तविक बस का ड्रायवर हरदीप उर्फ दिनेश है। इस प्रकार यह साक्षी न्यायालय में होने वाली साक्ष्य के समय बदल गया है।

12. इस मामले में आवेदक के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक बलवंत सिंह को तलब कराया जाकर उसके साक्ष्य नहीं कराई गई है कि रामदास मिनीबस एवं बस का चालक बंटी जल्दबाजी में लिखा दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 में ऐसे तथ्य नहीं आए हैं कि किसी घबराहट या जल्दवाजी में रिपोर्ट लिखाई गई हो। क्योंकि जिस प्रकार से रामदास मिनी बस एवं उसके चालक बंटी का वर्णन किया गया है। वह पूर्णतः स्वभाविक एवं प्राकृतिक रूप से किया गया है। घटना के तुरंत बाद का वर्णन है। इस कारण उसके संबंध में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि जल्दवाजी या घबराहट में किसी अन्य बस का नाम लिखा दिया। इतनी त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण बिना किसी कारण के असत्य नहीं कहा जा सकता है।

13. अभिलेख पर अन्य जो साक्ष्य प्रस्तुत है उससे वह कमलेश आ0सा0-02 एवं बेताल सिंह आ0सा0-01 की साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो रही है। अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 की पुष्टि हो रही है। जिसके संबंध में आगे के पदों में विवेचना की गई है।

14. कमलेश आ0सा0-02 प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह बताया है कि उसने दुर्घटना की रिपोर्ट में चालक का नाम बंटी पुत्र गब्बर सिंह नहीं लिखाया था। पुलिस ने कैसे लिखा, वह नहीं बता सकता। जबकि अनावेदक हरदीप उर्फ दिनेश अना0सा0-01 की ओर से प्र0डी0-01 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जो इस मामले से संबंधित आपराधिक प्रकरण का है। निर्णय के पैरा-19 में यह निष्कर्ष दिए हैं कि उक्त प्रकरण के किसी साक्षी शिवकुमार अना0सा0-06 ने यह बताया था कि कमलेश के द्वारा हडबडाहट में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 में रामदास की बस का उल्लेख कर दिया था। यदि

हडबडाहट में बस की पहचान लेखबद्ध कराई जाती तो एकदम सटीक अभियुक्त का नाम एवं बस की पहचान नहीं बता पता।

15. जहां तक कि घबराहट का संबंध है, कमलेश आ0सा0-02 का यह कहना है कि उसने चालक का नाम बंटी पुत्र गब्बर सिंह नहीं लिखाया था, पुलिस ने कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता, महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि आपराधिक प्रकरण के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0-01 का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट है कि पैरा-09 में यह तथ्य है कि प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 03 में कमलेश आ0सा0-02 का कहना है कि उसने एक्सीडेंट होने के बाद बस एवं चालक बंटी को देख लिया था। बंटी को वह अच्छी तरह से पहचानता है। बंटी ने उसके सामने एक्सीडेंट किया था, जिससे उदयसिंह की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार कमलेश आ0सा0-02 स्वतः ही विश्वसनीय नहीं रह जाता है कि अपराधिक प्रकरण में हरदीप को बचाने के लिए वह बंटी द्वारा एक्सीडेंट करना बताता है। इस न्यायालय में कहता है कि उसने बंटी का नाम नहीं लिखाया था। इस प्रकार कमलेश आ0सा0-02 की यह साक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं रह जाती है कि हरदीप ने प्रश्नगत बस से उदयसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की।

16. कमलेश अना0सा0-02 की संपूर्ण साक्ष्य भी अपने-आप में विचित्र है पैरा-04 में वह यह कहता है कि दुर्घटनाकारी वाहन टक्कर मारने के बाद भाग गया था, मौके पर नहीं पकड़ा गया था। पैरा-13 में वह यह बताता है कि दुर्घटनाकारी बस तीन-चार दिन बाद पकड़ी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 में यह तथ्य है कि बस का ड्राइवर बंटी बस को मौ रोड पर भगा कर ले गया था। यह पूर्णतः अस्वभाविक एवं अप्राकृतिक प्रतीत होता है कि दुर्घटना के बाद जो वाहन चालक वाहन को तुरंत भगा कर ले जाएगा। वही दुर्घटना के लगभग साढ़े चार घंटे बाद आकर उक्त बस को जप्त कराएगा। इस मामले में प्र0पी0-04 के जप्ती पंचनामे के अनुसार उसी दिनांक 23.10.14 को शाम पांच बजे ६

घटनास्थल से प्रश्नगत वाहन बस जप्त करना बताया गया है। नक्शा मौका प्र0पी0-03 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि कॉलम नं.-08 अर्थात् घटनास्थल पर पहुंचने की दिनांक में ओवरराइटिंग की गई है। जिसे 23.10.14 किया गया है। जो कि संभवतः 27.10.14 होना प्रकट हो रही है। इसी प्रकार वाहन क्रमांक में भी ओवरराइटिंग की गई है तथा उसे एम.पी.-33/एफ-2199 कर दिया गया है। जप्ती पंचनामे प्र0पी0-04 का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट है कि उसमें बस का रंग सफेद एवं हरा होना बताया गया है। जबकि प्र0पी0-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट वाली बस का रंग केवल सफेद होना बताया गया है।

17. कमलेश आ0सा0-02 ने पैरा-14 में यह स्वीकार किया है कि जो बस पुलिस ने जप्त की थी, वह हरदीप के घर पर रखी रहती थी और शादी पार्टी पर ही जाती थी। पैरा-15 में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मिनी बस को हरदीप गोहद चौराहे से इंजन का काम करा कर ग्राम खड़े ले जा रहा था और पुलिस उसे दोपहर में जप्त कर लिया था। जिससे कि अनावेदक क्रमांक 01 हरदीप उर्फ दिनेश अना0सा0-01, भोलाराम सिंह अना0सा0-02 एवं रामसिंह अना0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि होती है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 के अनुसार दुर्घटनाकारी वाहन को उसका ड्रायवर दुर्घटना स्थल से लेकर भाग गया, तब वह पुनः वापस घटनास्थल पर ही आकर अपनी बस को प्रकरण में लिप्त नहीं कराएगा। इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रकट है कि दुर्घटना किसी अन्य वाहन ने कारित की है और उसका चालक बंटी उसे लेकर भाग गया है। तत्पश्चात् प्रश्नगत वाहन बस को इस प्रकरण में लिप्त करा दिया है।

18. अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 23.10.14 को दिन के करीब 12:30 बजे अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन मिनी बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 को बॉयज स्कूल के सामने आम रोड गोहद पर

उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 एवं अन्य आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों एवं शवपरीक्षण के लिए आवेदन प्र0पी0-07 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी0-08 एवं प्रकरण में प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तो प्रकट है कि मिनीबस सफेद रंग की रामदास की, जिसका चालक बंटी था, को उसके चालक ने उपेक्षा व उतावलेपन से बस को चलाकर उदयसिंह को टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की। जिससे उदयसिंह की मृत्यु हो गई। परंतु उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन मिनी बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 एवं उसके चालक हरदीप के द्वारा कारित किया जाना प्रकट और प्रमाणित नहीं होती है।

वाद प्रश्न क्रमांक 02:-

19. चूंकि उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रश्नगत वाहन मिनी बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 तथा अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की प्रकरण में लिप्तता होना प्रमाणित नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अपने पुत्र उदयसिंह की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परंतु क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के उद्देश्य से इस वाद प्रश्न का निराकरण किया जाना न्यायोचित है।
20. मृतक उदयसिंह के पिता बेताल सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि मृतक उदयसिंह 18 वर्षीय नवयुवक था और मजदूरी करके अपना व आवेदक का भरण पोषण करता था। इसके अलावा कृषि मजदूरी व भैंस पालन का व्यवसाय करके 500/-रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 15,000/-रुपए प्रति माह की आय अर्जित करता था। यदि उसकी मृत्यु नहीं होती तो वह लगभग 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहकर 15,000/-रुपए प्रति माह के हिसाब से आय अर्जित करता। जिसके 2/3 भाग से आवेदक का भरण पोषण करता। पैरा-11 में उसने यह स्वीकार किया है कि कृषि एवं मजदूरी के कार्य से संबंधित उदयसिंह

का कोई लेखीय दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही वह साथ लेकर आया है।

21. बेताल सिंह आ0सा0-01 ने यह भी बताया है कि पैरा-12 में यह स्वीकार किया है कि 500/-रुपए प्रतिदिन कमाने अर्थात प्रतिमाह 15,000/-रुपए आय अर्जन के संबंध में कोई लेखीय दस्तावेज पेश नहीं किया है। पैरा-15 में उसने यह स्वीकार किया है कि दूध के संबंध में हिसाब का पर्चा पेश नहीं किया है। इस प्रकार बेताल सिंह आ0सा0-01 ने उदय सिंह के द्वारा कृषि मजदूरी तथा दूध बिक्रय का कार्य करना और उससे 15,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया है। परंतु इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

22. आवेदक के साक्षी राधाकृष्ण आ0सा0-03 ने यह बताया है कि उदयसिंह मजदूरी के अलावा भैंस पालन के व्यवसाय से 15,000/-रुपए प्रति माह की आय अर्जित करता था। परंतु पैरा-12 में प्रतिपरीक्षण में उसने यह बताया है कि मृतक उदयसिंह दिल्ली में फैक्ट्री में काम करता था और उसी ने उसे फैक्ट्री में काम पर लगवाया था। मरने से एक वर्ष पहले से दिल्ली में जींस की सिलाई फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने यह बताया है कि वह उसी फैक्ट्री में कपडे सिलता है। पैरा-13 में उसने यह बताया है कि उसका मासिक कार्ड था, जिसमें 15,000/-रुपए मासिक वेतन लिखा था। उसने यह भी बताया है कि उदयसिंह फैक्ट्री में ही काम करता था, दूध डेयरी का धंधा नहीं करता था।

23. इस प्रकार आवेदक के ही साक्षी ने उदयसिंह के द्वारा दूध डेयरी के कार्य करने के तथ्य से इन्कार किया है। इस मामले में बेताल सिंह ने उदयसिंह के द्वारा फैक्ट्री में कार्य कर या अन्य मजदूरी का कार्य कर 15,000/-रुपए प्रतिमाह आय प्राप्त होने के संबंध में कोई भी लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी हाजिरी रजिस्टर की कोई प्रति

पेश नहीं की है। फैक्ट्री का कोई एनरोलमेंट प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उदयसिंह दुर्घटना के संबंध में मजदूरी के कार्य से या दूध डेयरी के कार्य से 15,000/-रूपए प्रतिमाह की आय आर्जित करता था। यही कारण है कि बेताल सिंह आ0सा0-01 ने पैरा-12 में यह स्वीकार कर लिया है कि उसका पुत्र उदयसिंह केवल विद्यार्थी था।

24. बेताल सिंह आ0सा0-01 ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास उसका व उसके परिवार का वोटरकार्ड व राशनकार्ड है और इस प्रकार के मूल दस्तावेज वह साथ नहीं लाया है। उदयसिंह की मूल अंकसूची भी वह साथ लेकर नहीं आया है। इस प्रकार उदयसिंह की आयु के संबंध में कोई लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। शवपरीक्षण के लिए आवेदन प्र0पी0-07 एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी0-08 में मृतक उदयसिंह की आयु 16 वर्ष लिखी है। वहीं आवेदक की ओर से उदयसिंह की हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा 2011 की अंकसूची की फोटोप्रति पेश की है जिसमें उदयसिंह की जन्मतिथि 06.06.96 दर्शाई गई है। उक्त हिसाब से उदय सिंह की आयु दुर्घटना दिनांक 23.10.14 को 18 वर्ष की होती है। यद्यपि असल अंकसूची प्रस्तुत नहीं की गई है। परंतु उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि दुर्घटना दिनांक को उदयसिंह की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच रही होगी।

25. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृ० वी. मेकाला बनाम एम.मलाठी एवं अन्य 2014 ए.सी.जे. 1441 (एस.सी.) में 16 वर्ष की आयु के बालक के लिए स्थाई निशक्तता के उद्देश्य से 18 के गुणक का प्रयोग किया है। न्याय दृ० सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भी 15 से 20 वर्ष की आयु के बालक के लिए 18 का गुणक प्रयुक्त होगा। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक उदयसिंह का विद्यार्थी होना प्रमाणित हुआ है। माननीय उच्चतम

न्यायालय ने अपने उक्त न्याय दृ० **वी. मेकाला** वाले मामले में उक्त 16 वर्ष की आयु के बालक की नोशनल आय के हिसाब से मामले को निराकृत किया है।

26. अतः ऐसी स्थिति में मृतक उदयसिंह की नोशनल आय को हिसाब में लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाए तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतक की नोशनल मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। उक्त हिसाब से उदय सिंह की वार्षिक आय 60,000/-रुपये होती है।

27. आवेदक उदयसिंह का पिता है। उसकी आयु 46 साल बताई गई है अतः ऐसी स्थिति में आवेदक यदि जीवित होता तो उसके बुढ़ापे का सहारा बनता। आवेदक उदयसिंह का उत्तराधिकारी भी है। इस दृष्टि से आवेदक बेताल सिंह को उदय सिंह की आश्रित सदस्य मान्य किया जा सकता है। आवेदक की संख्या एक है। अतः न्याय दृ० **सरला वर्मा** के अनुसार यदि उदयसिंह जीवित होता तो अपनी आय का 1/2 भाग स्वयं पर खर्च करता।

28. 5,000/-रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वार्षिक आय 60,000/-रुपए होती है। 1/2 का कटौती किए जाने पर वार्षिक आय 30,000/-रुपए प्रतिमाह होती है। 18 का गुणक प्रयुक्त करने पर आय की हानि 5,40,000/-रुपए होती है। उक्त राशि की गणना आश्रितता की हानि के रूप में की गई।

29. न्यायदृष्टांत राजेश व अन्य बनाम राजवीर व अन्य 2013

एसीजे 1403 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में कम से कम 25,000/-रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। अतः उक्त राशि 25,000/-रु. प्रथक से प्रतिकर स्वरूप गणना की जाती है।

30. इस प्रकार आवेदक को अनावेदकगण से प्राप्त होने वाली राशि की गणना निम्न प्रकार से की गई:-

31.

क्रमांक	मद	राशि
1.	आश्रितता की हानि	5,40,000/-रुपए
2.	अंतिम संस्कार का व्यय	25,000/-रुपए
कुल क्षतिपूर्ति राशि		5,65,000/-रुपए

वादप्रश्न क्रमांक 03 :-

32. यह वादप्रश्न बीमा संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है। बीमा कंपनी की ओर से अजय भरद्वाज अना0सा0-04 एवं शिवरचरण वामले अना0सा0-05 की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अजय भरद्वाज अना0सा0-04 आर.टी.ओ. कार्यालय ग्वालियर में प्रभारी परमिट शाखा के पद पर पदस्थ है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि वाहन बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 के परमिट के रिकॉर्ड वह न्यायालय में लेकर उपस्थित हुआ है और उक्त वाहन का घटना दिनांक 23.10.14 को कोई वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। जिसकी प्रति प्रकरण में पेश है जो प्र0डी-02 हैं। जिसकी रशीद प्र0डी0-03 है। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि उक्त प्रश्नगत बस परमिट क्रमांक 267/12 मार्ग ग्वालियर से दतिया पर संचालित थी। जो श्री अमर गोपाल के नाम से परमिट था।

33. अजय भरद्वाज अना0सा0-04 ने यह बताया है कि वह अपने विभाग का अभिलेख लेकर आये हैं। जिसके मुताबिक श्री अमरगोपाल ने

दिनांक 20.02.14 को उक्त परमिट पर से वाहन बिक्रय करने के लिए हटा लिया था और उक्त बस बिक्रय करने की अनुमति उनके विभाग से दिनांक 20/02/14 को प्राप्त कर ली थी। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह भी बताया है कि जो रिकॉर्ड वे लेकर आए हैं, उसमें दुर्घटना दिनांक 23.10.14 के लिए भिण्ड जिले के लिए उक्त का कोई स्थाई या अस्थायी परमिट प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है।

34. अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का प्र0डी0-02 का प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह तथ्य है कि सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ग्वालियर के आदेश दिनांक 19.02.14 के पालन में उक्त यात्री वाहन क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 की बिक्रय अनुमति प्राप्त कर परमिटधारी द्वारा वाहन के परमिट से प्रथक करा लिया था। दुर्घटना दिनांक 23.10.14 को उक्त वाहन बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 परमिट क्रमांक 267/एस.टी.जी./2012 पर संचालित नहीं थी। परमिट से प्रथक हो चुकी थी। इस प्रकार उक्त वाहन पर घटना दिनांक 23.10.14 को वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था।

35. इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है और ऐसा कोई परमिट प्रस्तुत नहीं किया है जो घटना दिनांक 23.10.14 को उक्त बस के संबंध में वैध एवं प्रभावी हो। अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से ऐसा कोई परमिट न तो तलब कराया गया है और प्रमाणित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 का कोई वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था।

36. अजय भरद्वाज अना0सा0-04 ने यह भी बताया है कि वाहन के चालक दिनेश सिंह के ड्रायविंग लाइसेंस का भी कम्प्यूटराइज्ड विवरण लेकर आये हैं, जो प्र0डी0-04 है, प्रकरण में जिसकी रसीद प्र0डी0-05

है। उक्त ड्रायविंग लाइसेंस दिनेश को गैर व्यवसायिक वाहन एल.एम.व्ही. के लिए जारी किया गया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि प्र0डी0-04 का जो ड्रायविंग लाइसेंस अनावेदक क्रमांक 01 दिनेश उर्फ हरदीप के पास था, वह 7,500/-किलोग्राम से कम बजनी गाडी के लिए तो था, किंतु गैर व्यवसायिक वाहन के लिए था। पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अनावेदक क्रमांक 01 दिनेश उर्फ हरदीप को उक्त बस यदि बिना सवारी के खाली चलाना हो तो वह उसके लिए भी अधिकृत नहीं था, क्योंकि उक्त बस परिवहन यान के अंतर्गत पंजीबद्ध थी।

37. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी वाहन बस के संबंध में विचार करें तो बस स्वतः ही व्यवसायिक वाहन होता है जो सवारियों को लाने ले जाने के व्यवसाय के लिए होता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी, या बस को बिना सवारी के खाली चलाया जा रहा था तब भी वह व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में आएगा। बीमा कंपनी की ओर से प्र0डी0-06 की बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि " पैसेंजर करिंग कॉमर्शियल व्हीकल पॉलिसी एक्ट लायबिलिटी ऑनली " जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि उक्त बस क्रमांक एम.पी.-33/एफ-2199 यात्री वाहक वाहन है जो कि परिवहन यान की श्रेणी में ही आएगा। आवेदक की ओर से इस मामले में रजिस्ट्रेशन की फॉटोकॉपी पेश की गई है। जिसमें उक्त बस का पैसेंजर करिंग बस के रूप में दर्ज होना दर्शित है तथा उसकी कैपेसिटी 24+2 है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाहन यात्री वाहन होकर परिवहन वाहन है।

38. शिवचरण मामले अना0सा0-05 अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी में सहायक के पद पर पदस्थ है। उन्होंने यह बताया है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत बस के संबंध में चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था तथा वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था, जिससे

कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ड्रायविंग लाइसेंस प्र0डी0-04 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनेश का उक्त ड्रायविंग लाइसेंस नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए है जो दिनांक 02.04.12 से 01.04.2032 तक के लिए एल.एम.व्ही. एवं मोटर साइकिल विथ गियर का होकर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए है, ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए नहीं है। लाइसेंस पर व्यवसायिक वाहन का कोई पृष्ठांकन नहीं है क्योंकि व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन तीन-तीन वर्ष के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का पृष्ठांकन होना प्र0डी0-04 में दर्शित नहीं है। अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से व्यवसायिक वाहन के पृष्ठांकन का कोई ड्रायविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही प्रमाणित कराया गया है। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत वाहन के ड्रायवर दिनेश उर्फ हरदीप के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। यह भी प्रमाणित होता है कि उक्त दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन का वैध एवं प्रभावी परमिट भी नहीं था।

39. बीमा पॉलिसी प्र0पी0-06 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें मोटर यान अधिनियम की धारा-66 की उपधारा-3 के अर्थों में वाहन का परमिट होना आवश्यक है। इसी प्रकार पॉलिसी में यह शर्त भी है कि ड्रायवर के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस भी होना आवश्यक है। परंतु इन दोनों ही शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के द्वारा बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया। जहां तक कि केवल ड्रायविंग लाइसेंस का प्रश्न है अनावेदक क्रमांक 01 के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस नहीं है परंतु उसके पास लाइसेंस अवश्य है तब ऐसी स्थिति में उक्त शर्त का उल्लंघन मूलभूत उल्लंघन नहीं है। परंतु परमिट का उल्लंघन मूलभूत उल्लंघन है।

40. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-66 के अनुसार भी यह उपबंध है कि किसी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में

उस यान का परिवहन यान के रूप में उसके परमिट की शर्तों के अनुसार ही उपयोग करेगा, या करने की अनुज्ञा देगा अर्थात् परिवहन यान के रूप में परमिट का होना अनिवार्य शर्त है। जो कि अधिनियम के उपबंध के अनुसार ही है। इस प्रकार मामले में स्पष्ट रूप से परमिट की शर्त का उल्लंघन है। अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 की सहमति अथवा उसकी जानकारी में परमिट के बिना उक्त वाहन को चलाया है जो कि विधि के उल्लंघन में एवं बीमा संविदा की शर्तों के उल्लंघन में चलाया है।

41. आवेदक की ओर से न्याय दृ० कुलवंत सिंह एवं अन्य बनाम ओरिएन्टल इंश्योरेंस कं० लि० 2014 ए.सी.जे. 2873 एवं एस. इयप्पन बनाम यूनाईटेड इंडिया कं० लि० एवं अन्य एम.एस.सी.डी. 2013 (एस.सी.) 193 प्रस्तुत करते हुए यह तर्क किया गया है कि यदि ड्रायविंग लाइसेंस वैध एवं प्रभावी नहीं होना भी पाया गया हो तब भी पे एण्ड रिकवर के सिद्धांत के आधार पर आदेश किया जा सकता है।
42. आवेदकगण की ओर से न्याय दृष्टांत कुलवंत सिंह एवं अन्य बनाम ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि० 2014 (4) एसीसीडी 1907 (एससी) में दुर्घटनाकारी यान टेम्पो था। उक्त यान को हल्का माल वाहक यान मान्य करते हुये हल्के यान का चालन करने की वैध चालन अनुज्ञप्ति चालक के पास थी परंतु माल वाहक का चालन करने के लिये पृष्ठांकन नहीं था तब यह मान्य किया गया कि चालक हल्के मोटर यान के चालन की अनुज्ञप्ति रखते हुये हल्के माल वाहक यान का चालन करने का हकदार है तथा बीमा पॉलिसी की शर्त का भंग नहीं माना था।
43. न्याय दृ० एस.इयप्पन बनाम यूनाईटेड इंडिया कं० लि० एवं अन्य एम.एस.सी.डी. 2013 (एस.सी.) 193 वाले मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मात्र ड्रायविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन न

होने से महिन्द्रा मैक्सी कैब लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होने पर उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी की उत्तरदायी न मानने में त्रुटि कारित की थी। इस मामले में यह मान्य किया गया था कि बिना पृष्ठांकन के भी लाइट मोटर व्हीकल महिन्द्रा मैक्सी कैब को चलाया जा सकता है।

44. परंतु न्यायदृष्टांत ओरियेंटल इंश्योरेंस कं० लि० बनाम अंगद कोल और अन्य एआइआर 2009 एससी 2151 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हल्के मोटर यान एवं परिवहन यान में अंतर होता है। परिवहन यान की चालान अनुज्ञप्ति अन्य यान की चालन अनुज्ञप्ति से भिन्न होती है। परिवहनयान की चालन अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के लिये जारी की जा सकती है जबकि अन्य यान की चालन अनुज्ञप्ति 20 वर्षों के लिये जारी की जा सकती है। इस प्रकार परिवहन यान चाहन अनुज्ञप्ति को अन्य यान की चालन अनुज्ञप्ति से भिन्न मानते हुये हल्के मोटरयान एवं परिवहन यान में अंतर माना है। इस न्यायदृष्टांत को आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त कुलवंत सिंह एवं अन्य तथा इयप्पन वाले न्यायदृष्टांत में रैफर नहीं किया गया है और न ही अंगद कोल वाले मामले में प्रतिपादित न्यायदृष्टांत को ओवररूल किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त कुलवंत सिंह एवं इयप्पन का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत इस प्रकरण पर लागू नहीं है।

45. इस संबंध में न्यायदृष्टांत यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुजाता अरोरा एवं अन्य 2013 (3) टी. ए. सी. 29 (एस.सी.), सरदारी एवं अन्य बनाम सुशील कुमार एवं अन्य 2008 ए.सी.जे. 1307, मनोज बनाम समुंदर सिंह एवं अन्य 2005 ए.सी.जे. 1520 (एम.पी.) भी अवलोकनीय है।

46. भुगतान करें और वसूलें का सिद्धांत न्याय दृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह ए आई आर 2004 (3) एस सी सी 297 तीन न्यायामूर्तिगण की पीठ में निर्णय पैरा 105 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी रखना न्यायोचित है परंतु इस मामले में लाइसेंस के अतिरिक्त परमिट का भी उल्लंघन है।
47. न्यायदृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि. बनाम चल्ला भरथम्मा एवं अन्य एम.ए.सी.डी. 2005 (एस.सी) 209 में उल्लंघन करने वाला वाहन परमिट के बिना चलाया जा रहा था। अधिकरण ने बीमा कंपनी का यह बचाव स्वीकार किया कि बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। बीमित क्षतिपूर्ति की राशि के लिये उत्तरदायी था। माननीय उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश ने बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिये उत्तरदायी माना किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेशित किया कि राशि को रिलीज करने से पूर्व उल्लंघनकर्ता वाहन का स्वामी संपूर्ण राशि के संबंध में जमानत दे कि वह उक्त राशि की अदायगी करेगा, उल्लंघनकर्ता वाहन को प्रतिभूति के तौर पर कुर्क किया जाना चाहिये, जिसके लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की सहायता ली जा सकती है। निष्पादन न्यायालय वाहन स्वामी द्वारा बीमाकर्ता को राशि अदा करने के लिये समुचित आदेश पारित करेगा। यदि कोई डिफाल्ट होता है तो प्रस्तुत की गई जमानत या वाहन स्वामी की अन्य संपत्ति के द्वारा पूर्ति की जायेगी।
48. परंतु न्यायदृष्टांत रामसुजान तिवारी बनाम सीता गुप्ता एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 437 में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की दो न्यायाधीशगण की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि परमिट नहीं होने से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। इस मामले में उल्लंघनकर्ता वाहन का संबंधित रूट का वैध और प्रभावी परमिट नहीं था। इस न्यायदृष्टांत में उपरोक्त नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि. बनाम चल्ला भरथम्मा एवं अन्य एम.ए.सी.डी. 2005

(एस.सी) 209 के मामले को रैफर किया गया है और उसको विचार में लिया गया है। जिसके पैरा 12 का हवाला देते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन हुआ था। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती। अधिकरण ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी से सही उन्मुक्त किया था। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने इस **रामसुजान तिवारी** वाले मामले में **चल्ला भरथम्मा** वाले मामले की व्याख्या करने के पश्चात उक्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया है।

49. न्यायदृष्टांत **सतनाम सिंह एवं अन्य बनाम बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. एवं अन्य 2010 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 34** में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की एकलपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवहन के लिये अनुज्ञापत्र आवश्यक है। यदि यान का अनुज्ञापत्र नहीं है तो बीमाकर्ता प्रतिकर का संदाय करने के लिये दायी नहीं है।

50. इस प्रकार हस्तगत मामले में परमिट नहीं होने से बीमा संविदा की मूलभूत संविदा का उल्लंघन हुआ है, इस कारण ऐसी स्थिति में इस उल्लंघन हेतु बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि आवेदक अपनी बताई गई दुर्घटना को सिद्ध करने में सफल होता तब भी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी से मुक्त किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 04 अन्य सहायता एवं व्यय :-

51. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत वाहन मिनी बस क्रमांक एम.पी. -33/एफ-2199 से उक्त दुर्घटना कारित हुई है। अपितु किसी अन्य वाहन द्वारा दुर्घटना कारित होना प्रकट और प्रमाणित हुआ है। अतः ऐसी

स्थिति में आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. यह क्लेम याचिका निरस्त की जाती है।
2. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क 2,000/-रूपए नियत किया जाता है।

उक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)